न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 70/2019

अपीलांट

1. घीसुसिंह पुत्र हेमसिंह जी उम्र 58 वर्ष
2. तेजी बेवा हेमसिंहजी उम्र 75 वर्ष जातिगण रावत निवासीगण करमाल तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. गोकुलसिंह पुत्र भवरसिंह जी जाति रावत उम्र 50 वर्ष निवासी करमाल तहसील मारवाड जंक्शन
2. सवाईसिंह पुत्र हेमसिंह जी जाति रावत निवासी करमाल
3. तहसीलदार मारवाड जंक्शन
4. उपखंड अधिकारी सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन
5. पटवारी पटवार हल्का करमाल
6. आर.आई करमाल
7. अशोक कुमार तत्कालीन पटवारी करमाल हाल पटवारी राणावास

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र शर्मा, आशुतोष दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मदनलाल सोनी विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 04 की ओर से
4. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 09.04.24

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्व मुकदमा संख्या 290/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी ग्राम बोगला, पटवार हल्का चौकडीया के खसरा नंबर 353/1 रकबा 0.8800 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी की पुनः पैमाईश करवाकर पुन कब्जा दिलाने तथा

प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 22.09.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से घीसुसिंह की ओर से वकील ने वकालतनामा प्रस्तुत कर दावे की नकल दिलाने का निवेदन किया, जिस पर आदेशिका में नकल देने का आदेश प्रदान किया गया तथा आगामी पेशी दिनांक 15.12.2015 को नियत की गई। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का नोटिस तामिल होने या अदम तामिल होने का कोई आदेशिका में अंकन नहीं किया गया एवं आगामी पेशी जवाब हेतु नियुक्त की गई। प्रकरण जवाब हेतु नियत था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जवाब लिये बिना जवाब बंद किये सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2016 को न्याय आपके द्वार में पत्रावली चौकडिया पेश हुई तथा उभयपक्ष उपस्थित का गलत इन्द्राज किया करते हुए बिना जवाब दावा लिये बिना राजीनामा हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में सवाईसिंह के जो हस्ताक्षर है वह फर्जी अगुष्ठ निशान किये गये। इसके अतिरिक्त अन्य प्रतिवादी घीसुसिंह व तेजी के आदेशिका पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण की कृषि भूमि पडोस में खसरा नंबर 354, 365, 367 हाथ से अंकन किया गया है, परन्तु उक्त वाद में वादी ने किसी तारिख को प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया गया कोई अंकन नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में तत्कालीन पटवारी अशोक कुमार द्वारा तरमीम गलत की गई। खसरा नंबर 353/1, 353 की भूमि एक थी तथा बंटा नंबर 353/1 तरमीम किया गया। खसरा नंबर 353/1 की पूर्व दिशा में 353 की भूमि छोडी गई वह गलत रूप से छोडी गई खाचे के रूप में छोडी गई एवं गलत रूप से तरमीम की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तनकीयात कायम किये बिना जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त धारा 5 के प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किये गये है कि अपीलांट लोक अदालत में उपस्थित नहीं थे न ही किसी प्रकार का राजीनामा किया एवं न अपीलांट के आदेशिका पर हस्ताक्षर है। सर्वप्रथम दिनांक 08.07.2019 को पुलिस एवं आरआई मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को कब्जा दिलाने आया तब अपीलांट द्वारा जैर अपील निर्णय की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो दिनांक 09.07.2019 को प्रदान की गई। अपीलांट को बिना जानकारी दिये जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अत जैर अपील निर्णय दिनांक 22.06.2016 एवं 23.11.2016 से दिनांक 09.07.2019 तक की अवधि को म्याद शुमार फरमाई जावे। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी ग्राम बोगला, पटवार हल्का चौकडीया के खसरा नंबर 353/1 रकबा 0.8800 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी की पुनः पैमाईश करवाकर पुन कब्जा दिलाने तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत

है। वकील रेस्पोडेन्ट ने सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम पर लिखित बहस प्रस्तुत कर मौखिक बहस करते हुए निवेदन किया कि उक्त अपील जैर अपील निर्णय के विरूद्ध 02 वर्ष 10 माह पश्चात प्रस्तुत की गई है जो पूर्णतया म्याद बाहर है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में देरी का जो कारण दर्शित किया है वो युक्तियुक्त नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के नोटिस विधिवत तामिल हुए एवं अपीलांट की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र शर्मा द्वारा दिनांक 28.10.2015 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया एवं दावे की नकल भी प्राप्त कर ली गई। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 15.12.2015 नियत की गई, उस समय अपीलांट घीसुसिंह भी न्यायालय में उपस्थित था। उसके पश्चात दिनांक 15.01.2016 को भी अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर प्रकरण मे आगामी पेशी दिनांक 23.02.2016 नियत की गई, किन्तु अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके पश्चात आगामी पेशी दिनांक 29.03.2016 नियत की गई, किन्तु अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। उसके पश्चात दिनांक 21.06.2016 को आदेशिका में यह अंकन किया गया कि राज्य सरकार एव जिला कलक्टर पाली महोदय के निर्देशानुसार पत्रावली आयन्दा लोक अदालत में पंचायत मुख्याला चौकडीया पर पेश हो। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 22.06.2016 की जानकारी अपीलांट घीसुसिंह एवं उनके अधिवक्ता को पूर्ण रूप से थी। उसके बावजूद अपीलांट द्वारा उक्त अपील 02 वर्ष 10 माह के पश्चात प्रस्तुत की गई है एवं उक्त देरी का कोई यथोचित कारण अपने प्रार्थना पत्र में दर्शित नहीं किया गया है। अत अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी क्षमा योग्य नहीं है। अत अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी ग्राम बोगला, पटवार हल्का चौकडीया के खसरा नंबर 353/1 रकबा 0.8800 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी की पुनः पैमाईश करवाकर पुन कब्जा दिलाने तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पर निर्णय पारित किया जाना उचित समझते है। अपीलांट द्वारा उक्त अपील जैर अपील निर्णय के विरूद्ध 02 वर्ष 10 माह पश्चात प्रस्तुत की गई है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के नोटिस विधिवत तामिल हुए एवं अपीलांट की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र शर्मा द्वारा दिनांक 28.10.2015 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया एवं दावे की नकल भी प्राप्त कर ली गई। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 15.12.2015 नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 15.01.2016 को भी अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर प्रकरण मे आगामी पेशी दिनांक 23.02.2016 नियत की गई, किन्तु अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके पश्चात आगामी पेशी दिनांक 29.03.2016 नियत की गई, किन्तु अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। उसके पश्चात दिनांक 21.06.2016 को आदेशिका में यह अंकन किया गया कि राज्य सरकार एव जिला कलक्टर पाली महोदय के निर्देशानुसार पत्रावली आयन्दा लोक अदालत में

पंचायत मुख्याला चौकडीया पर पेश हो। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी पेशी दिनांक 22.06.2016 को जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की ओर से अधिवक्ता पैरवी हेतु उपस्थित हुए, जिससे यह स्पष्ट है कि अधिवक्ता को प्रत्येक पेशी की पूर्ण जानकारी थी। अपीलांटगण द्वारा उक्त अपील 02 वर्ष 10 माह देरी से प्रस्तुत की है एवं अपील को म्याद शुमार करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 232 भानूप्रतापसिह बनाम श्रीमति घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 – धारा 96 – विलम्ब का शमन – अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब – विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद – 271 दिनों के विलम्ब के लिये सम्याभासी कारण नही बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 – विलम्ब का शमन, एस.एल.पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब – आधार लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नही– विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं बनता है।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1349 में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 224 – अपील पेश करने में 9 वर्ष का विलम्ब – प्रथम अपील भी कालबाधित थी, प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होकर अपने मामले की जानकारी रखना मुवक्किल का दायित्व है। वाद भी एकपक्षीय डिक्री हुआ, अपीलाण्ट के वकील को सुनने के बाद प्रथम अपील निर्णित की। विलम्ब हेतु सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं, निर्णित, आवेदन व अपील खारिज होने योग्य है।" प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता को प्रकरण में पेशियो की पूर्ण जानकारी थी एवं अपीलांटगण द्वारा जानकारी न होने एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई उक्त देरी का कोई यथोचित कारण अपने प्रार्थना पत्र में दर्शित नहीं किया गया है। जिससे अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कंडोन किया जाना न्यायिक दृष्टान्तो की रोशनी में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं से खारिज की जाती है। तथा सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्व मुकदमा संख्या 290/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 07/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली